SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

महिला सशक्तिकरण एवं कृषि में महिलाओं की हिस्सेदारी

रेखा चौबे, Ph.D., समाजशास्त्र विभाग
एस. एन. सेन पोस्ट ग्रेजुएट बालिका महाविद्यालय, कानपुर, उत्तरप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
रेखा चौबे, Ph.D.
E-mail : chaubeyrekha@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 06/09/2024
Revised on : 07/11/2024
Accepted on : 16/11/2024
Overall Similarity : 02% on 08/11/2024

शोध सार

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बहुत है। पहले कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता था, परन्तु समय के साथ अन्य सेवा क्षेत्रों में विस्तार होने के कारण धीरे–धीरे कृषि क्षेत्र की भागीदारी कम होती जा रही है। अगर हम भारत मे ग्रामीण महिलाओं की बात करे, तो यह देखा गया गया है कि कृषि के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्य है जो केवल अधिकांश रुप से महिलाएं ही करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि में विकास कार्यों को आगे ले जाने में हमारी ग्रामीण महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। वह कृषि में स्थाई विकास के लिए हर तरह के उत्थान के लिए नेतृत्व वाली भूमिका में उभर कर सामने आ रही है। भारत में खेती बगवानी के कामों में ग्रामीण महिलाओं की व्यापक भागीदारी को देखते हुए कृषि क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल व्यक्तिगत, परिवारिक बल्कि सामाजिक खुशहाली के लिए जरुरी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं भारत में आर्थिक विकास एवं उत्पादकता के लिए वर्तमान समय महिलाओं की हिस्सेदारी की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द

महिला, कृषि, किसान आन्दोलन, महिला नेतृत्व, महिला सशक्तिकरण.

प्रस्तावना

ग्रामीण महिलाओं को भारत की कृषि क्षेत्र में मुख्य रुप से मजदूर का दर्जा ही दिया गया है। महिलाओं को कृषक की श्रेणी से बाहर रखा गया है जबकि कोई महिला अगर उघोग चलाती है तो उसे उद्यमी कहा जाता है, परन्तु कृषि में सहभागिता करने वाली ग्रामीण महिलाओं को कृषक नहीं कहा जाता है।

कृषक की परिभाषा में यह कहा जाता है कि खेती की जमीन का मालिकाना हक किसके नाम पर है, इसी से किसान होने की पहचान बनती है।

कृषि में श्रम किसका कितना लगा है यह मालिकाना हक निर्धारित नहीं करता है। भारत में यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जमीन का मालिकाना हक केवल 2 प्रतिशत महिलाओं के पास है जो बहुत कम है या नहीं के बराबर है, जबकि कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान 32 प्रतिशत है। बदली हुई सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। महिला किसानों की बात की जाये तो देश और प्रदेश में राज्य सरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतू अनेकानेक योजनाएं नीतियां और कार्यक्रम चलाई जा रही है। उन योजनाओं से इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है या उन योजनाओं को संचालित या क्रियान्वित करने वाले महिलाओं के प्रति सम्वेदनशील नहीं है। यही मुख्य कारण है कि आज भी देश की महिलाएँ कृषि क्षेत्र में हाशिये पर है।

कृषि क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में आज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और हमेशा देश के विकास में सार्थक भूमिका में ही रहेगा।यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक क्रान्ति के बाद सेवा क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों की भूमिका के मुकाबले कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अंश कम होता जा रहा है लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी को कृषि क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध है।

भारत में कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज स्तंभों में से एक है। यह क्षेत्र देश की सामान्य सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत तक का योगदान देता है। इस देश में 70 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवार अपनी आय के मुख्य स्रोत के रूप में कृषि पर निर्भर है। वर्ष 2020–21 में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान बढ़कर 19.9 प्रतिशत था और वर्ष 24 में यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 18 प्रतिशत हो सकता है। अपने देश में कृषि पर देश की अर्थव्यवस्था हमेशा निर्भर और प्रभावी वित्त रही है। संयोग से अपना देश दुनिया में अदरक, भिंडी, आलू से लेकर कपास तक कई फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है और दुनिया भर में कुल कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर भारत कृषि निर्यात में नवें स्थान पर है। यह पिछले 15 वर्षों में 87 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 89 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। इससे प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। भारतीय कृषि को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान करताओ में से एक होने के नाते आजीविका और खाद्य सुरक्षा की ऋण के रूप में कार्य करने की दोहरी भूमिका निभानी होगी। राज्यों की बात करें तो सिक्किम 100 प्रतिशत जैविक कृषि खेती के रूप में उभरने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है।

1966–67 मे हरित क्रांति के प्रार्दुभाव के कारण आज भारत लगभग 3228.62 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है। अब देश में तिलहन तकनीकी मिशन की सहायता से तेल वाली फसलों के उत्पादन में आशातीत सफलता मिल रही है। भारत आज गेहूं, चावल, गन्ना और कपास जैसी अनेक फसलों के उत्पादन में विश्व में उच्चतम उत्पादक राष्ट्रों के रुप में पहचान बना लिया है। दूध, सब्ज़ी, फल उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा देश बन गया है। वर्ष 2023 मे विश्व भर के दलहन के 25 प्रतिशत, धान के 22 प्रतिशत और गेहूं के 13 प्रतिशत हिस्से का उत्पादन भारत में हुआ था। आज भारत विश्व में काफी, चाय, चावल, कपास आदि का बहुत बडा निर्यातक देश बना हुआ है।

महिला और भारतीय कृषि

आज देश की आधी आबादी महिलाओं की है। इसके उपरान्त भी महिलाएं अपने मूल भूत अधिकारों से वंचित हैं। यदि अधिकारों को देखा जाये तो जिन क्षेत्रों में महिलाएं पुरूषों के बराबर योगदान दे रही है उन क्षेत्रों में भी महिलाओं की गिनती पुरुषों की अपेक्षा कम ही आंकी जा रही है। इसी तरह से कृषि क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी को कम ही महत्व दिया जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका में रहने के बावजूद महिलाओं को असमानताओं और तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो महिलाओं को उनके काम के अवसरों तक उनकी पहुंच और उनकी उत्पादकता में व्यापक सुधार के प्रयासों में बांधा डालती है। कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करती है।

ग्रामीण महिलाएं एक साथ कई तरह के आर्थिक गतिविधियों में शामिल होती है। आय सृजन के वैकल्पिक साधनों के अभाव में असुरक्षित कार्य करना उनकी मजबूरी बन जाती है। ऐसे कार्यो को करने मे जान–माल की हानि की सम्भावना हमेशा बनी रहती है।

भारत की कृषि में महिलाओं का योगदान मात्र 32 प्रतिशत है, जबकि कृषि के अतिरिक्त मजदूर के रुप में इससे अधिक भागीदारी है। पहाड़ी राज्यों एवं उत्तर पूर्व तथा दक्षिण भारत के केरल आदि राज्यो में महिलाओं का ग्रामीण व कृषि अर्थव्यवस्था में काफी योगदान है। दुग्ध उत्पादन तथा पशुपालन के व्यवसाय मे 7.5 करोड देश की महिलाओं की सहभागिता है। भारत में जब भी कृषि क्षेत्र और महिलाओं के उत्थान की बात की जायेगी तो बागवानी की भूमिका को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। बांगवानी भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। बागवानी कृषि में श्रम की ज्यादा जरूरत होने के कारण महिलाओ को इसमे ज्यादा रोजगार के अवसर मिलते हैं। फलों और सब्जियों का उपयोग घरेलू उपयोग से हट कर विभिन्न उत्पादों जैसे अचार, जैम, जैली, स्कवैश आदि के लिए आवश्यक है। देश के कई राज्यों में महिलाओं को कृषि की जगह बागवानी में ज्यादा रोजगार मिलता है। विश्व स्तर पर देखा जाये तो भारत फल और सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। महिलाएं कृषि क्षेत्र में काम के साथ घर के काम जैसे ईंधन, पीने का पानी, पशु के लिए चारा ,परिवार के लिए अन्य काम में महिलाओं की केन्द्रीय भूमिका आज भी है परन्तु उनकी पहचान श्रमिक या पुरुष की सहायक के तौर पर ही है। ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में महिलाएं कभी घर की मालिक नहीं बन पाती है, न हीं घर के महत्वपूर्ण निर्णय जैसे शादी, जमीन क्रय–विक्रय में इनकी भूमिका नहीं होती है। हां कुछ प्रगति शील परिवारों में महिलाओं को घर के मालिक का हक है और हर कार्य में वह निर्णायक की भूमिका का निर्वहन कर रही है। यह बदलाव देखने को मिल रहा है। कई बड़े उघोगो में आज महिलाएं निर्णायक की भूमिका में हैं। आज देश में 65 प्रतिशत कृषि कार्य का भार महिलाएं उठा रही है।

भारत में केवल 12.78 प्रतिशत कृषि भूमि ही महिलाओं के नाम पर है। इसी कारण से महिलाओं की कृषि में निर्णायक भूमिका नहीं है। महिलाओं का कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान होने के बावजूद उन्हें किसान की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जब भी किसान की बात होगी तो पुरुष वर्ग ही आगे रहता है। महिलाएं सहभागी की भूमिका में रखी जाती है। महिलाओं को भूमि का मालिकाना हक प्रशासनिक पहलू मात्र नहीं है, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक, आर्थिक निहितार्थ है। भूमि के मालिकाना हक से महिलाओं की पहचान उनकी निर्णय क्षमता, आत्मनिर्भरता व उसके अधिकार से जुड़े हुए हैं। गम्भीर आर्थिक स्थिति और आपदा में अपनी पैतृक भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में भी असमर्थ होती हैं।

भारत में महिलाओं के पास जमीन का अधिकार न होने के कारण उनका सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण प्रभावित होता है इसलिए यह आवश्यक है कि पति के साथ पत्नि का नाम भी हर तरह की भूमि में दर्ज हो। इसके लिए व्यापक रुप से कानूनों में सशोधन करने की भी जरुरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कम होते अवसर के कारण पुरुष वर्ग का पलायन काम की तलाश में शहरों और महानगरों में तेजी से होने के कारण कृषि कार्य की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ रही है। इसके बावजूद महिलाएं किसान की श्रेणी से बाहर है, इसका कारण उनके पास भूमि का मालिकाना हक नहीं है।

आज विश्व स्तर पर महिला सशक्तिकरण के बहुत से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, परन्तु इन कार्यक्रमों का समग्र रुप से लाभ नहीं मिल पा रहा है। महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा की दिशा में किये जा रहे प्रयासों का भी कुछ यही हाल है किन्तु तमाम विपरित सामाजिक परिस्थितियों के बावजूद लड़कियां अपने पैरों पर खड़े रहने की ज़िद्द में है। यह आधुनिक समाज में देखने को मिल रहा है। आज के इस वैज्ञानिक और सूचना के युग में महिलाएं और लड़कियां पुरुषों और लड़कों से पीछे नहीं हैं चाहे वह मंगलयान हो, चन्द्रभान हो, अन्तरिक्ष की यात्रा में जाने की बात हो या लड़ाकू विमान उड़ाना है लड़कियां हर क्षेत्र में है। ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की ज़रूरत है। यह नहीं कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाए बस पर्दा में रहती है वह भी आज के सूचना क्रान्ति के युग में अब आगे आ रही है, बस गति अभी कम है। महिलाओं को हर त्तरह से सशक्तिकरण करने की योजना पर काम हो रहा है, परन्तु अभी भी कुछ कानूनी प्रावधानों को बनाने के साथ उसे सही तरीके से लागू करने की

जरूरत है। समाज में वास्तविक बदलाव तभी लाया जा सकता है जब महिलाओं को कृषक का वैधानिक आधार मिले।

कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान दिलाने लिए वर्ष 2016 मे 15 अक्टूवर को भारत सरकार द्वारा किसान महिला दिवस के रुप में मनाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा भी हर वर्ष 4 दिसम्बर को महिला कृषि दिवस मनाया जाता है। इस दिन हर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्रो पर कृषि में महिलाओं की सहभागिता और उनके महत्व पर प्रकाश डाला जाता है तथा कृषि कार्य मे लगी महिलाओं का सम्मान स्मृति चिन्ह प्रदान कर के किया जाता है जिससे दूसरी महिलाएं भी कृषि के कार्य में अधिक से अधिक भागीदारी बन सके।

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में महिलाओ को और अधिक सशक्त बनाने के लिए के कई तरह के कानूनों को बनाया है, जिससे महिलाओं को भी भूमि का पट्टा मिल सके। इसके अतिरिक्त महिलाओं को कृषि नीति में उन्हें भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने, फसल, पशुपालन, कृषि प्रसंस्करण उद्योगों आदि के माध्यम से जीविका के अवसरों का सृजन करवाये जाने जैसे प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक लक्ष्य कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के साथ–साथ किसानों के कल्याण के उपाय करना है। कर्ज के बढ़ते बोझ के कारण किसानों में आत्महत्या को रोकने के लिए भी सरकार ने विशेष उपाय जैसे फसल बीमा योजना को भी शुरू किया है। इस योजना का लाभ पुरुष किसानों के साथ महिला किसानों को भी समान तौर पर सुविधा मिल रहा है। महिलाओं की कृषि में बढ़ती भागीदारी को देखते हुए अब महिला उपयोगी कृषि यंत्रों का भी निर्माण हो रहा है जिससे कम समय और कम मेहनत से महिलाएं अधिक काम खेतों में कर सके, जिसकी सहायता से महिलाएं कृषि उत्पादन और उत्पादकता में प्रभावी ढंग से योगदान दे सके। इसके लिए सरकारों द्वारा कई तरह से पहल किया जा रहा है।

महिलाओं की कृषि में रूचि को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा वर्ष 1996 मे केन्द्रीय कृषिरत् महिला संस्थान की स्थापना उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर मे की गई है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य कृषि बागवानी में कार्यरत महिलाओं से जुड़े विभिन्न आयामों पर अनुसंधान व विकास का कार्य करना है। इसके साथ–साथ देश के कई कृषि संस्थानों में कई तरह की नई तकनीकी का विकास किया गया है और निरंतर हो रहा है जिससे महिलाओं की कठिनाईयों को कम कर के उनका सशक्तिकरण हो सके। वर्तमान समय में देश में 713 के लगभग कृषि विज्ञान केन्द्र काम कर रहे हैं। हर कृषि विज्ञान केन्द्र में कम से कम एक महिला विषय विशेषज्ञ वैज्ञानिक अवश्य है।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था तथा कई तरह के कार्यक्रमों की घोषणा भी किया गया था। उसी कड़ी में देश में सूक्ष्म ऋण योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों की महिलाओं को कृषि क्षेत्र में स्वयं अपना कार्य करने हेतू विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे मधुमक्खी पालन, दुग्ध उत्पादन, खूम्भ उत्पादन एवं सब्जियों की नर्सरी के साथ अचार, जैम, जेली, पापड़ और सिलाई का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंकों द्वारा आसान किस्तों पर सस्ते ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और महिला आर्थिक रुप से सशक्त बन सके। आज देश में एक करोड से ज्यादा स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं, इसके अतिरिक्त महिलाओं को अब किसान उत्पादक संगठन में भी सहभागी बनाया जा रहा है। वह स्वयं अपने उत्पादों को बाजार में अपनी कम्पनी या सहकारी समिति बनाकर बेचने का कार्यकर रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला मे स्वा वीमेन मल्टी परपज सहकारी समिति की सहायता से जिले में 1062 स्वयं सहायता समूह 101 पंचायतो मे बने है जिसमे 14000 सदस्य महिलाओं को जोड़ कर सशक्तिकरण का काम हो रहा है। इस तरह दस करोड माइक्रो क्रेडिट के रुप में दस करोड़ का ऋण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आय सृजन के लिए दिये गये है जिससे महिलाएं आर्थिक रुप से सशक्त बन सके। वर्तमान में इस सहकारी समिति की लगभग 16 करोड रुपये की कार्यशील पूंजी बन चुकी है। यह सहकारी समिति हिमाचल प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों को कई तरह के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण भी देता है तथा उनके उत्पाद

को सहकारी समिति के माध्यम से बेच भी रहे हैं। स्वावीमेन मल्टी परपज सहकारी समिति प्रदेश के बाहर की स्वयं सहायता समूहों को भी समय–समय पर प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही है। साथ में अन्य लोगो को भी रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक बन रही है। देश में लगभग तीन लाख से अधिक महिलाओं को कृषि सम्बन्धित क्षेत्रों में हर तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का विशेष ध्यान महिलाओं में क्षमता निर्माण जैसी गतिविधियों पर है जिससे महिलाओं की पहुंच बढ़ सके एवं विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने वाले निकायों में उनका प्रतिनिधित्व हो। इसके अतिरिक्त कृषि मंत्रालय द्वारा महिलाओं के हित को ध्यान रखकर कई नये कदम उठाये गये है जो काफी महत्वपूर्ण है।

महिला रोजगार एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हर राज्य सरकारें अच्छा उदाहरण पेश कर रही है जिसमें यहां हम हिमाचल राज्य का उदाहरण देखते हैं। हिमाचल प्रदेश ने गांवों में हैण्डपम्प लगाने हेतू महिलाओं के समूह को प्रशिक्षण देकर हैण्ड पम्प लगाने का कार्य महिला समूह को दिया है।

वर्ष 2022 मे देश के विभिन्न राज्यों में किसान आन्दोलन में भी महिलाओं की सहभागिता देखने को मिली। दिल्ली में चले एक वर्ष से ज्यादा दिन के किसान आन्दोलन में महिला किसानो ने हर तरह से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके विश्वपटल पर एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने में कामयाब रही है। किसान आन्दोलन में महिला किसान अपनी स्वतंत्रत पहचान क़ायम करके अग्रिम पंक्ति में खड़ी दिखाई दी। किसान आन्दोलन के नेताओं ने महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया और महिलाओं के इस प्रयास भागीदारी को आदर दिया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पितृसत्तात्मक समाज है वहां किसान आन्दोलन में महिलाओं का स्वतंत्र किसान के रुप में उभरकर सामने आना वास्तव एक बड़ी घटना है। इस रुप में किसान आन्दोलन महिला सशक्तिकरण आन्दोलन के रुप में काम करने वाला साबित हुआ है। यहां यह कहा जा सकता है कि महिलाएं अब घर की चहदिवारी की वस्तु नहीं, अपितु समाज को नई दिशा देने वाली एक सशक्त नेतृत्व की भूमिका निभाने में भी सक्षम है। अतः वर्तमान में महिलाओं को कम नहीं आंका जा सकता है।

निष्कर्ष

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संविधान के 73 वाँ सशोधन करके ग्रामपंचायतों में आरक्षण, मनरेगा में उनकी सहभागिता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह जैसी नई भूमिकाओं ने वास्तव में ग्रामीण महिलाओं के चेहरों पर खुशी और उनके अन्दर आत्मनिर्भरता की चमक बिखेरने व आत्म विश्वास भरने का काम किया है। ग्रामीण भारत में सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं और जागरूकता अभियान से महिलाओं को समाज में कामकाजी वर्ग से बाहर करके हिस्सेदारी और निर्णायक की भूमिका में लाने में सफलता मिली है जिससे समाज में एक सकारात्मक रुपान्तरण देखा जा सकता है।

लेकिन इन सब सुखद बातों के अलावा आज भी कुछ ऐसे भी सामाजिक आर्थिक पहलू है जो ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधक बने है। यदि कृषि क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया जाये तो कृषि कार्य में महिलाओं की बढती संख्या से उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो सकती है ,परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आय में वृद्धि होगी और देश को कुपोषण से बचाया जा सकता है। इसका लाभ समाज और देश को मिलेगा। यदि महिलाओं को कृषि क्षेत्र में अवसर दिया गया तो देश में दूसरी हरित क्रांति को सफल बना सकती है और देश और समाज के विकास का परिदृश्य बदल सकती है।

सन्दर्भ सूची

1. कुमार, गौरव (2013) ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के सामाजिक आर्थिक आयाम, *कुरूक्षेत्र,* अगस्त 2013, पृ.14–15।
2. पटेल, अमृत (2012) कृषि क्षेत्र में महिलाएं, *योजना,* जून 2012 पृ. 11–12।

3. Hand bok of Agricultural एक्सटेंशनपेज 678-679 ICAR Publication New Delhi, 2020
4. तिवारी, कणिका (2018) महिला सशक्तिकरण का आत्मावलोकन, *कुरुक्षेत्र,* अगस्त 2018, पृ. 5।
5. https://wwwdiwn to earth.org.in/news/agriculture/international-womensday50-009women farmers join protest-at-singhu and tikri75834, Accessed on 02/09/2024
6. Himachal Tribune, 7 Feb 2024, Una cooperative society paves way for women's empowerment.

——==00==——